

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू०,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
शाहजहांपुर

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : २९ मार्च, 2013

विषय: वर्ष 2011-12 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना  
मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1598 / सी0आर0ए0(आपदा) / 2012-13, दिनांक 15-02-13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या-1920 / 1-10-2011-12(34) / 11, दिनांक 28-07-2011 में आपके द्वारा मांगी गयी धनराशि 1057.41 लाख के सापेक्ष सिचांई विभाग, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर के पक्ष में प्रथम किश्त के रूप में 528.70 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी तथा इसी विभाग के पक्ष में द्वितीय किश्त के रूप में 528.70 की धनराशि आवंटित की गयी थी। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.02.13 के साथ संलग्न पत्र संख्या-535 / सी0आर0ए0(आपदा) दिनांक 31.03.12 में यह अवगत कराया गया है, कि शासनादेश संख्या-4327 / 1-10-11-33(342) / 11 दिनांक 01.12.11 द्वारा उक्त योजना के आवंटित द्वितीय किश्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 528.71 लाख को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण अनाहरित समर्पित किया जाता है, जिसकी अगले वित्तीय वर्ष में मांग की जायेगी। इसी के अनुक्रम में आपके द्वारा सिचांई विभाग, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की परियोजना/कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 5,28,71,000/- की धनराशि की मांग पुनः की गयी है।

अतः प्रकरण में द्वितीय किश्त के रूप में पुनः वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवशेष कुल धनराशि रु0 5,28,71,000/- (रूपये पांच करोड़ अद्वाइस लाख इकहत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2011 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-78 / पी०ए०आ० / 2012, दिनांक 24.01.2012  
के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की

24.01.2012

गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं 2785 / 1-10-2011-12(73) / 2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्ही सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनः निर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं और जिनके बारे में Project Sanction की समर्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

5. वर्ष 2011-12 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
(एल० वेंकटेश्वर लू  
सचिव एवं राहत आयुक्त।)

संख्या : 1002 / 1-10-2013-33(342) / 11- तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
  - 2— आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली।
  - 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
  - 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
  - ✓5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
  - 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
  - 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
  - 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
  - 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
  - 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा सं.

(विनोद कुमार शर्मा)  
अनु सचिव।